निर्णय [illegible] प्रकाश [illegible] (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी उनियारा (

A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

प्रकरण सं - 136/2015 दायरा तारीख 30·

उनवान

लड्डू पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी देवली त॰ उनियारा

प्रार्थी

बनाम

1. नाथू पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनियारा
2. गोपाल पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनियारा
3. बाबू पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनियारा
4. ओमप्रकाश पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनियारा
5. धोली पुत्री मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनि॰
6. सन्ता पुत्री मोहन जाति ब्राह्मण निवासी देवली त॰ उनि॰
7. तहसीलदार उनियारा

अप्रार्थीगण

उपस्थित - विद्वान अधिवक्ता 1. श्री प्रेमचन्द जैन - प्रार्थी
2. श्री बरकतउल्लाह - अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट- 1955

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवली त॰ उनियारा के बाकिक ख॰ नं॰ 840 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थी की पैतृक काबिज काश्त आराजी है। दौराने भूप्रबन्ध उक्त ख॰ नं॰ से ख॰ नं॰ 1651 रकबा 0·35 है तथा 1653 रकबा 0.08 है॰ बनाये गये। परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा ख॰ नं॰ 1653 को अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया गया जिसका उन्हे वैधानिक अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण ख॰ नं॰ 1653 के अपने खाते दर्ज हो जाने उसे खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो प्रश्नगत आराजी ख.नं. 1653 रकबा 0.08 ग्राम देवली में दखलअंदाजी न स्वयं करे और न द किसी और से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत-उल्लाह खान ने जवाब-प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधि. प्रार्थी को दिलवायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र पर 04.3.2020 को सुनी जाकर पत्राव. वास्ते आदेश नियत की गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया तथा गौर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के तथ्य को दोहराते हुये निवेदन किया कि ख.नं. 840 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा है पैतृक होकर कब्जे काश्त है भूप्रबंध द्वारा दौराने सेटलमेंट इसके नये ख. 1651 रकबा 0.35 एवं 1653 रकबा 0.08 हैक्ट. बनाये गये परन्तु 16.. तो प्रार्थी के खाते एवं 1653 अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज कर दिया गया अप्रार्थीगण के ख.नं. 1653 रकबा 0.08 दर्ज करना उनका अधिकारक्षेत्र में नहीं था। यदि ख.नं. 1651 व 1653 की शीटों का मिलान किया जावे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी पर दिनांक 30.09.15 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म फरमाया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने साथी अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी 1653 रकबा 0.08 हैक्ट. साबिक ख.नं. 839 से बना है जो अप्रार्थीगण की पैतृक होकर विरासत में मिला है और वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास किया था जिसके फलतः न्यायालय हाजा द्वारा पहले ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है और बाद स्थायी निषेधाज्ञा जेरकार है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

प्रार्थी ने पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा की अपील भी नहीं की प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण की है एवं रिकॉर्डेड खातेदारी है जिस पर स्थगन दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसके समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने नजीर RRD 2015 पेज 232 पेश की तथा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने से खारिज कि जावे।

निर्णय

दि. 12.3.20

निष्कर्षत: प्रश्नगत ख. नं. 1653 रकबा 0.08 हे०; दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार साबिक ख. नं. 839 रकबा 7 बीघा से बनाया जाना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण भूप्रबन्ध से पूर्व तथा पश्चात भी प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/20

~~उपखण्ड अधिकारी~~
पीठासीन अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक